Estimated cost Of Koel-Karo power project

190. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to refer to the answer to Starred Question 178 given in the Rajya Sabha on the 3rd December, 1991 and state:

(a) what was the original estimated costs of Koelkaro power project and what is its revised cost; and

(b) what has been the year-wise sanction of funds since its implementation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) The original estimated cost of Koel Karo Power Project was Rs. 439.91 crores (including interest during construction, at March, 1980 price level. The revised sanctioned cost of the project at March, 1991 price level is Rs. 1338.81 crores (including interest during construction).

(b) since the sanction of the cost estimates in November, 1991, NHPC has earmarked Rs. 5 crores for this project in the year 1991-92.

रिहन्द परियोजना का पूरा किया जाना

191. श्री राम जेठमलानी:
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1992 के "इकोनामिक टाइम्स" में "यू॰के॰ वोल्ट फैस पुट्स रिहन्द-2 इन ज्योपार्डी, शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने रिहन्द परियोजना के दूसर चरण को पूरा करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित की गई आर्थिक सहायता प्रदान करने से इनकार कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस आर्थिक सहायता की राशि कितनी है, जिसे प्रदान किया जाना था, और यह सहायता किस रूप में दी जानी थी; और

(घ) सरकार इस परियोजना को पूरा करने के लिए अब क्या भावी योजना बना रही है?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री कल्पनाथ राय: (क) जी, हां, । (ख) से (घ) यू॰के॰ सरकार द्वारा अभी तक किसी प्रकार का निश्चित वित्त-पोषण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। जी॰ई॰सी॰ एक्सथॉम (जी॰ई॰सी॰ए॰) का फरवरी, 1991 का प्रस्ताव, प्रतीकात्मक वित्त पोषण प्रस्ताव से सम्बन्धित था, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि जी॰ई॰सी॰ए॰ की सहायता के लिए ओवरसीज़ एण्ड इकोनामिक कारपोरेशन डेवलपमेंट (ओ॰ई॰सी॰डी॰) की अधिकारिक रूप से प्रायोजित वित्त पोषण प्रस्ताव के अनुदान की राशि कम से कम 35% होगी। 9/10 सितम्बर, 1991 को यू॰के॰ के प्राधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में यू॰के॰ पक्ष द्वारा यह इच्छा व्यक्त की गई थी कि भारतीय पक्ष के लिए यह आवश्यक है कि वित्त पोषण के किसी वैकल्पिक स्रोत पर भी विचार करे। इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्य क्षेत्र का स्वरूप जोकि जी॰ई॰सी॰ए॰ समूह के अपने निर्माताओं तक ही सीमित होगा, के लिए संशोधित यू॰के॰ और पेंच पैकेजिज़ की सम्भावित लागत के बारे में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और जी॰ई॰सी॰ए॰ के बीच विचार-विमर्श किया जा रहा है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की बिल बनाने की गलत प्रणाली

192. मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी: क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री 26 अगस्त, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 31 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली में विद्युत उपभोक्ताओं को अभी भी बढ़ाई-चढ़ाई राशि के बिल प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि गलत बिल देने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और उपभोक्ताओं को गलत बिलों का भुगतान करने के लिए विवश किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या पहल करने का विचार रखती है?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री कल्पनाथ राय: (क)से(घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू)/नई दिल्ली नगर पालिका (एन॰डी॰एम॰सी॰) द्वारा जारी किए जाने वाले बिजली बिलों की अत्याधिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए मानवीय गलतियों, मीटर रीडिंग लेने अथवा कम्प्यूटर में आंकड़ों के संग्रहण में गलतियों के कारण कुछ मामलों